

भवनों की विशिष्टियाँ

1. सेमीफिनिशड भवनों में केवल बाहरी दरवाजे एवं खिड़कियों के फ्रेम ग्रिल सहित दिये जायेंगे, जिससे भवन बन्द हो सके ।
2. फाउन्डेशन का प्राविधान डिजाईन के अनुसार किया जाना है ।
3. भूकम्प रोधी प्राविधान के अन्तर्गत प्लिन्थ बैण्ड, लिन्टल बैण्ड एवं भवन की दीवारों के जंक्शन पर आवश्यकतानुसार उर्ध्वाधर सरिया का प्राविधान किया जायेगा ।
4. भवनों की छत पर रूफ ट्रीटमेंट का कार्य कराया जाना प्रस्तावित है ।
5. भवनों में अन्दर व बाहर प्लास्टर का कार्य एवम् आन्तरिक विद्युतीकरण के लिए केवल पी0वी0सी0 कन्ड्यूट पाईप व स्विच बाक्स का कार्य कराया जाना है ।
6. भवनों की अन्दर दीवारों तथा छत पर ड्राई डिस्टैम्पर, बाहरी सतह पर एपैक्स/वैदर कोट फिनिशिंग व दरवाजों पर एनेमेल पेंट ।



सम्पत्ति प्रबन्धक,
गोण्डा



अधिशायी अभियन्ता,
नि0ख0-4, लखनऊ